अध्याय XI: विद्युत मंत्रालय

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन

11.1 रेलवे पर दावे दायर करने में विलंब के कारण हानि

आपूर्ति न की गई कोयला वैगनों के लिए रेलवे पर दावे दायर करने में विलंब के कारण कॉर्पोरेशन ने ₹ 5.24 करोड़ की हानि वहन की।

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (कॉर्पोरेशन) इसके कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन्स (टीपीएस) के माध्यम से विद्युत का उत्पादन तथा वितरण करता है। कॉर्पोरेशन एक ईंधन आपूर्ति समझौते के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों से कोयला अधिप्राप्त करता है। कोयला या तो सड़क द्वारा या रेल द्वारा संबंधित टीपीएस को पहुंचाया जाता है। रेलवे माल की प्राप्ति पर, एक रेलवे प्राप्ति (आरआर) जारी करता है जो इसमें भार तथा संख्या के पैकेज का साक्ष्य होता है। प्रेषित माल ऐसे आरआर के समर्पण पर प्रदान किया जाता है। रेलवे हानि, नुकसान या किसी कारण से प्रेषित माल की गैर-आपूर्ति, अप्रत्याशित घटना खंड के अतिरिक्त, के लिए जिम्मेदार होता है। तथापि, रेलवे अधिनियम 1989 (आरए) की धारा 106 (1) के प्रावधानों के अनुसार, हानि या माल की गैर-आपूर्ति के लिए रेलवे के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक माल के सौंपने की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर रेलवे को एक नोटिस न दिया जाए। यदि रेलवे तीन महीनों की अवधि के अन्दर किसी दावे का निपटान नहीं करता है, प्रेषित माल के सौंपने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी) के समक्ष उनके विरूद्ध एक आवेदन दायर किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान कॉर्पोरेशन के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) ने ₹ 4.40 करोड़ के मूल्य के कोयले की 303 वैगन प्राप्त नहीं की। ऐसे आपूर्ति न किए गए वैगनों के लिए दावा आरआर के जारी होने के तिथि से आवश्यक छह महीने की अवधि के अन्दर दायर नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे ने आरए के प्रावधानों के अनुसार इन दावों को अस्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन (डीटीपीएस) पर, अगस्त 2011 में ₹ 0.84 करोड़ मूल्य के कोयले वाले रेलवे को सौंपे गए 58 वैगनों की गैर-आपूर्ति का अवलोकन किया। रेलवे के साथ दावा दायर करते समय (दिसम्बर 2011), डीटीपीएस ने गलत आरआर संख्या दी जिसके प्रति कोयला पहले ही प्राप्त हो चुका था।

परिणामस्वरूप, रेलवे ने दावे को अस्वीकृत कर दिया। बाद में जब कॉर्पोरेशन ने गलती के परिशोधन तथा मामले के पुनः खोलने के लिए निवेदन (जुलाई 2013) किया, रेलवे ने दावे को कालबाधित के रूप में अस्वीकृत (अगस्त 2013) कर दिया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आरसीटी के समक्ष एमटीपीएस तथा डीटीपीएस दोनों से संबंधित उपर्युक्त अस्वीकृतियों के प्रति पुनर्विचार के लिए प्रार्थना दर्ज करने का निर्धारित समय (जुलाई 2013- अगस्त 2014) भी समाप्त हो गया था। इस प्रकार दावे दर्ज करने में देरी कॉर्पोरेशन को ₹ 5.24 करोड़[1] के घाटे में परिणत हुई।

प्रबंधन ने कहा (अक्तूबर 2015) कि रेलवे के साथ दावे पंजीकृत डाक के माध्यम से आरआर के जारी होने की तिथि से छह महीनों की निर्धारित समय सीमा में दर्ज कराए थे परन्तु यह रेलवे द्वारा उनके द्वारा प्राप्ति की तिथि से 15-20 दिनों की समाप्ति के पश्चात पंजीकृत/स्वीकृत किए गए थे, फलस्वरूप दावे कालबाधित बन गए। प्रबंधन ने यह भी कहा कि रेलवे वेबसाईट के अनुसार दावे अभी भी प्रक्रियाधीन थे, जिसने मामले को कॉर्पोरेशन के लिए अस्पष्ट तथा भ्रामक बना दिया तथा वे आरसीटी के समक्ष पुनर्विचार के लिए याचिका दर्ज करने पर विचार कर रहे थे। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के उपर्युक्त विचारों का समर्थन किया (फरवरी 2016) ।

मंत्रालय/प्रबंधन का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरए के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे द्वारा ले जाए गए माल की गैर-आपूर्ति के लिए कोई व्यक्ति दावे का हकदार नहीं है जब तक ऐसे माल के सौंपने कि तिथि से छह महीनों की अवधि के अन्दर उसका नोटिस रेलवे को न दिया जाए। ऊपर उजागर किए गए मामलों में, कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर रेलवे द्वारा उनकी प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना, दावे केवल प्रेषित किए गए थे। प्रबंधन का दावे की स्थिति से संबंधित अस्पष्टता पर दावा भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि रेलवे पहले ही इन दावों की अस्वीकृति के विषय में बता चुका था। इन दावों के संबंध में पुनः प्राप्ति की कोई गुंजाईश न छोड़ते हुए आरटीसी के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रार्थना दर्ज करने का निर्धारित समय भी समाप्त हो चुका था।

अतः, आपूर्ति न किए गए कोयला वैगनों के लिए दावे दायर करने में प्रबंधन की ओर से देरी के कारण, कॉर्पोरेशन ने ₹ 5.24 करोड़ की हानि वहन की।

---

[1] *₹ 4.40 करोड़ + ₹ 0.84 करोड़*

पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.2 स्वैच्छिक लापरवाही के कारण अवमानक परिसम्पत्ति का अर्जन

एक परियोजना से संबंधित अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में, सीएलए के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए, संवितरण-पूर्व शर्तों में छूट देने तथा आईडीसी निधियन के माध्यम से ब्याज के भुगतान को स्वीकृत करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 239.36 करोड़ राशि का ऋण प्रकटन जोखिम तथा परिणामस्वरूप अवमानक परिसंपत्ति का अर्जन हुआ।

मै. पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने मै. जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड को बिहार में बांका जिले में 1320 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए ₹ 1150 करोड़ का एक आवधिक ऋण स्वीकृत किया (अक्तूबर 2011)। परियोजना एक्सिस बैंक के नेतृत्व मे 11 ऋणदाताओं के संकाय (कम्पनी सहित) द्वारा 80:20 के ऋण इक्विटी अनुपात पर निधिबद्ध है। कुल परियोजना लागत ₹ 7400 करोड़ अनुमानित है, जिसमें ₹ 5550 करोड़ का वरिष्ठ ऋण, ₹ 370 करोड़ का उपऋण तथा ₹ 1480 करोड़ की इक्विटी समाविष्ट है। कम्पनी ने, अपने स्तर पर, फरवरी 2013 तथा फरवरी 2015 के मध्य ₹ 239.36 करोड़ का संवितरण किया, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) का ₹ 53.54 करोड़ का निधियन शामिल है। परियोजना गतिविधियां विकासकों के पूंजी जुटाने में असफलता तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) द्वारा विकासकों के विरूद्ध एक जांच शुरू करने के कारण रोक दी (सितम्बर 2012) गई। अंत में, उधारकर्ता द्वारा बकाया देय राशि के गैर-भुगतान के कारण, ऋण को अवमानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया था (अक्तूबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 28 फरवरी 2013 को प्रथम संवितरण के लिए ₹ 185.82 करोड़ का संवितरण किया, जबकि ऋण 14 अक्तूबर 2011 को स्वीकृत हुआ था। ऋण स्वीकृति तथा प्रथम संवितरण की अवधि के मध्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनके चलते ऋण संवितरण के प्रति कम्पनी द्वारा एक सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था। तथापि, ऐसी पहुंच की कमी थी तथा निर्णय करने में वित्तीय विवेक तथा व्यवसायिक सावधानी का न्यूनतम स्तर प्रतीत नहीं होता था। जून 2012 में, यानी, ऋण स्वीकृति के आठ महीने पश्चात तथा प्रथम संवितरण से लगभग नौ महीने पहले, धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक प्राप्त करने के लिए परियोजना के विकासकों के विरूद्ध एक सीबीआई जांच प्रारंभ की गई थी तथा 3 सितम्बर 2012 को विकासकों के विरूद्ध एक एफआईआर दायर की गई थी। ऋणकर्त्ता ने स्वयं ही स्वीकार किया कि सीबीआई जांच नीतिगत भागीदारों को पहचानने तथा आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने (जैसा अभिकल्पित था) के लिए काफी कठिनाई का कारण बनी, जिससे परियोजना क्रियान्वयन

पर असर हुआ तथा वास्तव में, सितम्बर 2012 से परियोजना रूक गई थी। कम्पनी ने फरवरी 2013 में ₹ 185.82 करोड़ संवितरित किए तथा फरवरी 2015 तक ब्याज (₹ 53.54 करोड़) के भुगतान के प्रति आईडीसी निधियन के माध्यम से और अधिक संवितरण किया, और पहले ही निर्धारित संवितरण-पूर्व शर्तों तक में भी छूट दे दी।

कम्पनी ने कहा (जून/नवम्बर 2015) कि निजी क्षेत्र ऋणों में, जहां वह मुख्य ऋणदाता नहीं था; ऋणों को संबंधित मुख्य ऋणदाता की सलाह पर संवितरित किया जाता था, जैसा कि सामान्य ऋण समझौता (सीएलए) में तय विधि तथा कम्पनी की नीति के अनुसार है। सीबीआई जांच से संबंधित सभी तथ्य संवितरण से पहले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाए गए थे तथा कोयला ब्लॉक के गैर-आवंटन के जोखिम को कम करने तथा हित की सुरक्षा के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा शर्तों पर जोर डाला गया। आगे यह बताया गया कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, आईडीसी के प्रति संवितरण सहित सभी संवितरण, संरक्षक उपाय सुनिश्चित करने के बाद तथा सीएलए के प्रावधानों के अनुसार तथा मुख्य ऋणदाता द्वारा शर्तों की अनुपालन पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किए गए थे।

यद्यपि उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि में देखा जाना चाहिए कि हालांकि ऋण को संकाय के अन्तर्गत ऋणकर्त्ता को संवितरित किया गया था, ऋण आवेदन की प्रक्रिया, प्रतिभूति राशि की उपयुक्तता का निर्धारण, ऋणकर्त्ता की पात्रता, ऋण प्रकटन जोखिम, विशिष्ट के साथ सामान्य नियम एवं शर्तें, ऋण संवितरण से संबंधित निर्णय, इत्यादि केवल ऋणदाता की वर्तमान नीति तथा कार्यविधि के अनुसार बनाए जाने थे। सीएलए की खंड 11.2 में प्रावधान है कि कम्पनी को स्वयं सीएलए में निर्धारित संवितरण-पूर्व शर्तों जैसे खंड 11.2.1 (30 प्रतिशत की अग्रिम इक्विटी), खंड 11.2.2 (इक्विटी के लिए सम्पूर्ण टाई अप), खंड 11.2.6 (कोयला आवश्यकता) तथा खंड 11.2.7 (विद्युत की बिक्री, विद्युत का उदग्रहण, इत्यादि) की पूर्ति के प्रति आश्वस्त करनी चाहिए। सीएलए खंड 13.15 कम्पनी को किसी भी समय पर संवितरण रोकने में भी सशक्त बनाती है, जो की बिना इस बात पर विचार किए लागू किया जा सकता है कि क्या मुख्य ऋणदाता द्वारा या अन्य ऋणदाताओं (ओ) द्वारा कोई संवितरण किया गया है या नहीं, यदि कम्पनी के विचार में, ऐसी कोई घटना होती है जो परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता पर बुरा असर डालती है। तथापि, ये बचाव उपेक्षित तथा नजर अंदाज किए गए थे, जो कि अनुचित तथा अतर्कसंगत था। सीबीआई जांच तथा परियोजना की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में कम्पनी का ऋण संवितरण का निर्णय तब आया जब परियोजना रूकी हुई थी (नवम्बर 2012 तक, ₹ 2698.62 करोड़ व्यय करने के बाद परियोजना की प्रत्यक्ष उन्नति 28.81 प्रतिशत थी), तथा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, परियोजना आगे नहीं

बढ़ी (जनवरी 2015), इस प्रकार, संवितरित किए गए ऋण की राशि विकासकों द्वारा अन्यान्य कार्यो में लगाए जाने की संभावना खुली थी। पूर्व –निर्धारित शर्तों को छूट देते हुए आईडीसी का वित्तपोषण करते हुए ऋण को मानक श्रेणी में रखा गया तथा ऐसी छूट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक के निरस्तीकरण के पश्चात भी प्रदान की गई थी।

इस प्रकार, सीएलए के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए संवितरण-पूर्व शर्तो में छूट देने, तथा आईडीसी निधियन के माध्यम से ब्याज के भुगतान के नियमितिकरण के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण परियोजना के आस-पास अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में, ₹ 239.36 करोड़ का ऋण जोखिम तथा परिणामस्वरूप अवमानक परिसंपति हुई।

मंत्रालय को मामला दिसम्बर 2015 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

11.3 अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण अवमानक परिसंपत्ति का अर्जन

परियोजना निधियन के लिए असुरक्षित ऋण प्रयोग करने में शामिल जोखिमों का सटीक निर्धारण करने में असफलता तथा वित्तीय प्रगति की तुलना में प्रत्यक्ष का मिलान किए बिना प्रतिबद्धता पूर्व शर्तों में छूट देते हुए संवितरण निर्गमन के परिणामस्वरूप ₹ 24.55 करोड़ का ऋण अवमानक हो गया।

मै. पावर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने ओडिशा में सम्बलपुर जिले में एक 10 मेगावाट बायोमास कम–थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मै. स्वर्णज्योति एग्रोटेक एंड पावर लिमिटेड को ₹ 26 करोड़ का एक आवधिक ऋण स्वीकृत (अप्रैल 2012) किया। अन्य बातों के साथ-साथ ऋण स्वीकृति पत्र में शर्तों के दो सैट भी शामिल थे, यथा, (I) प्रतिबद्धता –पूर्व शर्ते[1] जिनमें बकाया अवधि ऋण (₹ 10.40 करोड़) को अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआईज) के साथ सम्बद्ध करना था, तथा (II) संवितरण पूर्व शर्ते[2] जिनके अनुसार 5.82 की अग्रिम इक्विटी को ₹ 10.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि के साथ साथ लाया जाना था। सुविधा समझौता अक्तूबर 2012 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा नवम्बर 2012 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य ₹ 24.55 करोड़ संवितरित/समायोजित किया गया था। तथापि, अप्रैल 2013 से ऋणकर्ता द्वारा सतत चूकों के कारण, अप्रैल 2014 में ऋण अवमानक हो गया था।

---

[1] पीएफसी के वित्तीय सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व इन शर्तों के अनुपालन करने पर प्रभावी होते है।

[2] पीएफसी के स्वीकृत निधियों को संवितरण करने के उत्तरदायित्व इन शर्तों के अनुपालन करने पर प्रभावी होते है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएफसी ने ऋणकर्ता को एक असुरक्षित ऋण के माध्यम से ₹10.40 करोड़ के बकाया ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी (अक्तूबर 2012) क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) से ₹ 10 करोड़ की ऋण स्वीकृति समाप्त हो चुकी थी। पीएफसी ने, यह जानने के बावजूद कि ऋणकर्ता ने सम्पूर्ण वित्तीय सम्बद्धता होने की प्रतिबद्धता पूर्व शर्त का पालन नहीं किया तथा परियोजना के वित्तपोषण के लिए असुरक्षित ऋण प्रयोग करने में शामिल जोखिम का सटीक निर्धारण किए बिना, नवम्बर 2012 में ₹ 17 करोड़ संवितरित किया। यह देखा जा सकता है कि एक असुरक्षित ऋण में आंतरिक जोखिम है जो परियोजना पूर्णता को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सक्षम है। वर्तमान मामले में, परियोजना गतिविधियां प्रभावित हुई क्योंकि ऋणकर्ता को पहला असुरक्षित ऋण भुगतान के लिए परियोजना के ईपीसी ठेकेदार से एक अन्य गैर प्रतिभूति ऋण लेना पड़ा था। ईपीसी ठेकेदार ने उसके गैर प्रतिभूति ऋण की वापस अदायगी की मांग करते हुए प्लांट तथा मशीनरी की आपूर्ति को भी रोक दिया। परिणामस्वरूप, अगस्त 2013 में परियोजना गतिविधियां रूक गई।

यह भी देखा गया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) जो परियोजना के लिए ऋण आवेदन पर विचार कर रही थी, ने राय दी (सितम्बर 2013) कि परियोजना की प्रगति डाली गई इक्विटी तथा पीएफसी द्वारा संवितरित राशि से मेल नहीं खाती, तथा परियोजना के लिए ऋण सुविधा को बढाने से इनकार कर दिया। फरवरी तथा अगस्त 2013 के महीने के लिए ऋणदाता के इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत प्रगति पत्र से यह भी देखा गया कि कार्य की प्रगति असन्तोषजनक थी। दूसरी तरफ, पीएफसी ने वित्तीय प्रगति की तुलना में प्रत्यक्ष प्रगति को देखे बिना मार्च तथा अक्तूबर 2013 के मध्य ₹ 7.55 करोड़ की और राशि संवितरित की थी। इस प्रकार, पीएफसी ने प्रतिबद्धता पूर्व शर्तों अथवा प्रत्यक्ष प्रगति के उचित संज्ञान के बिना ही ऋण किश्तें संवितरित कर दी जो न्यायोचित नहीं था।

पीएफसी ने बताया (नवम्बर 2015) कि ऋणकर्ता बैंक/एफआईज के साथ बकाया ऋण को अंतिम रूप देने की अग्रिम अवस्था में था तथा वित्तीय समापन को शीघ्रता से निपटाने के लिए, इसने बैंक/एफआईज से ऋण की स्वीकृति तक अतिरिक्त प्रतिबद्धता पूर्व तथा संवितरण पूर्व शर्त निर्धारित करने के बाद, गैर प्रतिभूति ऋण लाने की अनुमति दे दी तथा गैर प्रतिभूति ऋण के सम्मिश्रण के पश्चात वित्तीय समापन प्राप्त किया गया माना गया था। यह भी बताया गया कि ऋण को नीति के अनुसार स्वीकृत किया गया था तथा संवितरण, ऋणकर्ता द्वारा संवितरण की सभी शर्तों को पूर्ण करने के बाद किया गया था। असन्तोषजनक प्रगति के संबंध में, पीएफसी ने कहा कि विशेषतया विद्युत परियोजनाओं के लिए विलम्ब अत्यधिक दुर्लभ नहीं है, तथा मई तथा अगस्त 2013 में

ऋणदाता के इंजीनियर द्वारा सूचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इसने उस अवधि से नकद संवितरण बंद कर दिया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि कम्पनी ने वित्तीय संबंद्धता की आवश्यकता में छूट दी तथा संवितरण उस समय पर किया गया था जब एसबीएच से ऋण स्वीकृति की समाप्ति तथा अन्य एफआईज/आरईसी द्वारा ऋण के इनकार के परिणामस्वरूप ऋणकर्ता वित्तीय समापन को प्राप्त करना कठिन पा रहा था। इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ऋणकर्ता वित्तीय समापन की अंतिम अवस्थाओं पर था तथा उसके द्वारा ऋण संस्वीकृति की सभी शर्तों का पालन किया गया था। पीएफसी के अप्रतिभूति ऋण लाने के निर्णय ने परियोजना को गहरी समस्या में डाल दिया था।

इस प्रकार, प्रतिबद्धता पूर्व शर्तों के उल्लंघन में ऋण के संवितरण के परिणामस्वरूप ₹ 24.55 करोड़ का ऋण अवमानक हो गया तथा परियोजना ठप हो गई थी।

मामला दिसंबर 2015 में मंत्रालय की जानकारी में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

11.4 ईंधन लागत की कम वसूली के कारण हानि

टैरिफ निर्धारण के लिए जमा महत्वपूर्ण डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने में प्रबंधन की विफलता के कारण ₹ 28.32 करोड़ की हानि

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) (टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियम 2009 के संबंध में, टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए एक थर्मल उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ में क्षमता प्रभार (वार्षिक निर्धारित लागत की वसूली के लिए) तथा ऊर्जा प्रभार[1] (प्राथमिक ईंधन लागत की वसूली के लिए) शामिल होंगे।

---

[1] गैस ईंधन आधारित स्टेशन के लिए रूपये प्रति केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) की निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी

ईसीआर= जीएचआरx एलपीपीएफx 100 /{सीवीपीएफx (100-एयूएक्स)}, जहाँ

जीएचआर= मानक संबंधी सकल स्टेशन उष्मा दर

एलपीपीएफ=प्राथमिक ईंधन का आयातित माल का मूल्य

सीवीपीएफ= सकल कैलोरिफिक मूल्य जैसा प्रज्वलित किया गया

एयूएक्स= सहायक खपत

सीईआरसी ने टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए प्रचालन मानक, 2004-05 से 2006-07 के दौरान उत्पादन स्टेशनों के पूर्व प्रदर्शन पर आधारित वास्तविक औसत को ध्यान में रखने के बाद उल्लेखित किए थे। इस प्रकार, एक विद्युत स्टेशन के लिए मानक संबंधी सकल स्टेशन उष्मा दर (जीएचआर) सीईआरसी द्वारा पिछली अवधि के दौरान विभिन्न उत्पादन स्टेशनों द्वारा पूरे किए गए प्रचालन मानदंड के आधार पर निर्धारित किए गए थे।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर, नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के दो विद्युत संयंत्रों अर्थात असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपीपी) के लिए जीएचआर (केसीएएल/केडब्ल्यूएच[1]) सीईआरसी द्वारा 2400 (संयुक्त चक्र के लिए) के रूप में तथा अगरतला गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्र (एजीटीपीपी) के लिए 3500 (खुले चक्र) के रूप में अधिसूचित किया गया था। परिणामी अवधि अर्थात् 2009-14 के लिए ऊर्जा प्रभारों की गणना की जानी थी तथा उपर्युक्त जीएचआर के आधार पर कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के लाभार्थियों से वसूला जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने सीईआरसी को प्रचालनात्मक डाटा अनुर्वतन (अप्रैल 2008) करते समय, गलती से 'ईंधन का भारित औसत निवल कैलोरीफिक मूल्यों' के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण सीईआरसी द्वारा जीएचआर का निर्धारण कम दरों पर हुआ। परिणामस्वरूप, ईंधन की आयातित माल की लागत 2009-10 तथा 2010-11 में एजीबीपीपी तथा एजीटीपीपी के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित वसूली तंत्र के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा पूर्णतः वसूली नहीं गई थी।

त्रुटि ध्यान में आने के बाद, 01 अप्रैल 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ उष्मा दर मानकों के संशोधन के लिए कम्पनी ने एक याचिका दायर (26 मई 2011) की, ताकि ईंधन की आयातित माल की लागत लाभार्थियों से पूर्णतः वसूली जाएगी। सीईआरसी ने, कम्पनी तथा लाभार्थियों की प्रस्तुति की जांच करने पर, मानक संबंधी जीएचआर (केसीएएल/केडब्ल्यूएच) को प्रत्याशित अर्थात टैरिफ के संशोधन के लिए याचिका दायर करने की तिथि (26 मई 2011) से एजीबीपीपी के लिए 2500 तथा एजीटीपीपी के लिए 3700 के रूप में संशोधित किया। हालांकि सीईआरसी ने 01 अप्रैल 2009 से पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ ईंधन की संशोधित लागत की वसूली की अनुमति यह कहते हुए प्रदान नहीं की कि कम्पनी को इसकी स्वयं की गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

---

[1] *किलो कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा*

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सीईआरसी को डाटा अनुर्वतन करने में प्रबंधन की तरफ से लापरवाही के कारण भावी प्रभाव के साथ मानक संबंधी जीएचआर के संशोधन के लिए याचिका की अस्वीकृति के कारण, 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान लाभार्थियों से ऊर्जा प्रभारों के प्रति ₹ 28.32 करोड़ की राशि वसूली नहीं जा सकी (25 मई 2011 तक)।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि त्रुटि भूलवश हुई थी तथा यह डाटा के प्रस्तुत करने के समय पर उपलब्ध सूचना की अस्पष्ट प्रवृति के कारण हुई तथा लापरवाही के कारण नहीं हुई थी। यह दावे के साथ कहा गया कि सीईआरसी ने अपनी बुध्दिमता में याचिका की तिथि से संशोधित एसएचआर को लागू कर दिया जिस पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं था तथा कम वसूली को हानि नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक वास्तविक आंकड़ा नहीं है बल्कि सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक संबंधी एसएचआर[1] पर निर्भर करता है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उन्होंने 23 जनवरी 2014 को सीईआरसी के समक्ष 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी मानकों की और छूट के लिए अन्य पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की तथा यह प्रक्रियाधीन है।

प्रबंधन का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाटा की सत्यता को सुनिश्चित करना, जो राजस्व उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, प्रबंधन की मूलभूत जिम्मेदारी था। प्रबंधन का दावा है कि सीईआरसी ने इसकी गंभीरता में याचिका की तिथि से संशोधित एसएचआर को प्रभावी किया गया तथा कम वसूली को हानि नहीं कहा जा सकता, तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि प्रबंधन ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि सूचना के जमा करने में गलती के कारण ईंधन लागत पूर्णतः वसूली नहीं गई थी। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2009 से अतीतलक्षी ढंग से टैरिफ के और संशोधन के लिए प्रबंधन की याचिका (23 जनवरी 2014) भी सीईआरसी द्वारा इसके आदेश 05 फरवरी 2016 के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी।

इस प्रकार, टैरिफ निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण डाटा को जमा करने की सटीकता सुनिश्चित करने में प्रबंधन की विफलता के कारण कम्पनी को ₹ 28.32 करोड़ की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2015 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

---

[1] ***स्टेशन उष्मा दर***

एनटीपीसी लिमिटेड

11.5 एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण

नौ विद्युत स्टेशनों में चयनित 20 योजनाओं मे से 19 में आर एवं एम कार्यों से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने में कुल तीन से 109 महीनों का विलम्ब था। 335 संविदा पैकेजों में से, केवल 197 संविदा पैकेज प्रदान किये गए थे, जिन में से 107 पैकेज पूरे हुए थे जिनमें 41 विलम्बित थे। इसके कारण चार विद्युत स्टेशनों में ₹199.65 करोड़ की कम टैरिफ वसूली तथा ₹23.42 करोड़ के ब्याज के साथ टैरिफ का प्रतिदाय हुआ था। ₹47.13 करोड़ का परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय, दोष पूर्ण प्रणालियों के कारण ₹269.78 करोड़ की उत्पादन हानि, खराब थर्मल दक्षता के कारण ₹ 881.89 करोड़ की अधिक कोयला खपत, बलात आउटेज के कारण ₹489.29 करोड़ की उत्पादन हानि तथा शुरूआत के बावजूद समय पर परियोजनाओं को पूरा न करने के कारण पर्यावरणीय प्रतिमानों का अननुपालन भी देखा गया था।

11.5.1 प्रस्तावना

एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) ने विद्युत संयंत्रों के वेहतर निष्पादन को बनाए रखने तथा उनके उपयोगी जीवन काल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) नीति गठित की (मई 2002)। तदनुसार, 2004-19 के दौरान 18 विद्युत स्टेशनों[1] में आर एण्ड एम गतिविधियाँ करने की योजना बनाई गई थी तथा जुलाई 2007 से मार्च 2015 (जुलाई 2004 में अंता पावर स्टेशन को छोड़कर) के बीच ₹ 8327.40 करोड़ संस्वीकृत किये गए थे। लेखापरीक्षा में (i) आरएण्डएम गतिविधियों की संकल्पना, आबंटन तथा क्रियान्वयन में आरएण्डएम नीति की अनुपालना (ii) संविदाओं के क्रियान्वयन में दक्षता, मितव्ययिता तथा प्रभावशीलता, (iii) आरएण्डएम गतिविधियों की निगरानी की प्रभावकारिता तथा (iv) विद्युत संयत्रों के लक्षित प्रचालनों को प्रभावित करने वाली चूक के कारण, यदि कोई हैं, का आंकलन करने के लिए आरएण्डएम गतिविधियों की समीक्षा की गई थी।

[1] कोरबा एसटीपीएस, रिहन्द एसटीपीएस, विन्ध्याचल एसटीपीएस, कावस जीपीएस, औरया जीपीएस, झनोर गंन्धार जीपीएस, दादरी गैस, दादरी टीपीएस, अंता जीपीएस, बदरपुर टीपीएस, सिम्हाद्री एसटीपीएस, तालचेर कनिहा एसटीपीएस, तालचेर टीपीएस, रामागुन्डम एसटीपीएस, कहेलगॉंव एसटीपीएस, सिंगरोली टीपीएस, फरक्का टीपीएस तथा ऊँचाहार टीपीएस

11.5.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं नमूना

लेखापरीक्षा ने इन्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडिया) साफ्टवेयर के माध्यम से प्रणालीगत याद्दच्छिक सैम्पलिंग अपना कर 18 विद्युत स्टेशनों में से जहाँ आर एण्ड एम गतिविधियाँ की जा रही थी, उनके जीवन काल, निवेश अनुमोदन, वहन किये गए व्यय तथा देश में अपेक्षाकृत व्यापक कवरेज की आवश्यकता के आधार पर नौ[1] का चयन किया। नीचे दी गई तालिका-1 समग्र आरएण्डएम गतिविधियों तथा तालिका-2 लेखापरीक्षा में जॉची गई आरएण्डएम गतिविधियों का विवरण दर्शाती है।

तालिका-1: कुल आरएण्डएम गतिविधियाँ

	पावर स्टेशनों की संख्या	आरएण्डएम योजनाओं की संख्या	निवेश अनुमोदन (मार्च 2015 तक) *(करोड़ ₹ में)*	बजटीय व्यय (अप्रैल 2007 से मार्च 2015) *(करोड़ ₹ में)*	वास्तविक व्यय (अप्रैल 2007 से मार्च 2015) *(करोड़ ₹ में)*	बजट से वास्तविक व्यय की % (6/5*100)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	18 (कुल)	34 (कुल)	8327.40	4281.70	4147.02	96.85
2.	09 (चयन किये हुऐ)	20 (कुल)	5680.32	2374.32	2209.97	93.08

तालिका-2 : लेखापरीक्षा कवरेज की तुलना में आरएण्डएम गतिविधियाँ

योजना	कुल		चयन		चयन की प्रतिशतता	
	योजनाओं की सं.	निवेश अनुमोदन (करोड़ ₹ में)	योजनाओं की सं.	निवेश अनुमोदन (करोड़ ₹ में)	योजना	निवेश अनुमोदन
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
मेगा लाइफ[2]	16	6808.10	13	5194.13	81.25	76.29
मिड लाइफ[3]	18	1519.29	7	486.19	38.89	32.00
जोड़	**34**	**8327.39**	**20**	**5680.32**	**58.82**	**68.21**

[1] कोरबा एसटीपीएस, सिंगरोली एसटीपीएस, रामागुन्डम एसटीपीएस, फरक्का एसटीपीएस, बदरपुर टीपीएस, दादरी टीपीएस, दादरी जीपीएस झनोर गन्धार जीपीएस एवं अंता जीपीएस

[2] मेगा लाइफ संयंत्र के जीवनकाल विस्तारण को सन्दर्भित करता है जब यह 25 वर्ष अथवा 200,000 प्रचालन घण्टे पूरे कर लेता है।

[3] मिड लाइफ कोयले या गैस आधारित स्टेशनों के लिए क्रमशः 70000 या 50000 प्रचालन घण्टे पूर्ण करने के बाद प्रचालन में सुधार को सन्दर्भित करता है।

चयनित 20 योजनाओं में कुल 335 संविदा पैकेज चिन्हित किये गए थे, जिनमें से 197 पैकेज मार्च 2015 तक प्रदान किये गए थे। मार्च 2015 तक पूरे हो चुके 107 (अर्थात 54.31 प्रतिशत) सहित सभी 197 पैकेज लेखापरीक्षा में कवर किये गए थे।

एनटीपीसी ने मार्च 2015 तक विभिन्न योजनाओं के लिए ₹ 8327.40 करोड़ के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया तथा अप्रैल 2007 से मार्च 2015 तक आरएण्डएम गतिविधियाँ करने के लिए बजट में ₹ 4281.70 करोड़ निश्चित किये। मार्च 2015 तक बजट प्रावधान के प्रति किया गया वास्तविक व्यय ₹ 4147.02 करोड़ था। यद्यपि एनटीपीसी ने समग्र बजटीय व्यय का 96.85 प्रतिशत खर्च किया है, तथापि लेखापरीक्षा में चयनित नौ विद्युत संयंत्रों में वर्ष-वार तथा स्टेशन-वार वहन किये गए व्यय में महत्त्वपूर्ण अन्तर था। जहाँ वर्ष-वार बजट उपयोग तीन वर्षों (2007-08, 2008-09 तथा 2013-14) में 100 प्रतिशत से अधिक था तथा तीन वर्षों (2009-10, 2012-13 तथा 2014-15) में 80 से 92 प्रतिशत के बीच था, यही 2011-12 तथा 2010-11 में क्रमशः 32.31 तथा 45 प्रतिशत तक कम था।

11.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.5.3.1 आरएण्डएम गतिविधियों का विलम्बित कार्यान्वयन

(क) योजना पहचान एवं अनुमोदन

आरएण्डएम नीति 2002 के अनुसार, विद्युत संयंत्रों की आरएंडएम गतिविधियाँ दो श्रेणियों अर्थात मिड लाईफ एवं मेगा लाइफ/लाइफ विस्तारण योजनाओं के अन्तर्गत नियोजित की गई थीं। मिड-लाईफ योजना तब शुरू की जानी थी जब एक इकाई पल्वराईज्ड कोयले अथवा गैस/तरल ईंधन प्रज्जवलित ऊर्जा स्टेशनों में क्रमशः 70,000 अथवा 50,000 संचालन घण्टे पूरे करती है; आरएंडएम कार्य तब शुरू किया जाना था जब एक इकाई क्रमशः 100,000 अथवा 80,000 संचालन घण्टे पूरे कर लेती है। मेगा-लाईफ/लाईफ विस्तारण के मामले में, आरएण्डएम योजनाएँ इकाई का उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के पश्चात प्रारंभ की जानी थीं (अर्थात कोयला आधारित पावर स्टेशनों के लिए 25 वर्ष अथवा 200,000 संचालन घण्टे तथा गैस/तरल आधारित पावर स्टेशनों के लिए 15 वर्ष अथवा 100,000 संचालन घण्टे)। आर एण्ड एम व्यापार प्रक्रिया 2006 के अनुसार, योजनाओं के कार्यान्वयन में तीन से चार वर्षों की आवश्यकता होती है इसलिए योजनाएं कोयला एवं गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए क्रमशः 21 अथवा 11 वर्षों की पूर्णता पर शुरू की जानी अपेक्षित थी। आरएण्डएम नीति 2002 तथा व्यापार प्रक्रिया 2006 विभिन्न आरएण्डएम गतिविधियों की पूर्णता के लिए कुल 48 महीने की अवधि निर्धारित

करती हैं जैसा तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3: आरएण्डएम गतिविधियों की पूर्णता हेतू समय सीमा

(महीनों में)

पीएस द्वारा आरएण्डएम प्रस्ताव प्रारंभ करना	पीएस द्वारा प्रस्ताव को सीओं को भेजना	ईडी स्तरीय ईसी[1] द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन	प्रबन्धन द्वारा अनुमोदन	सीईए द्वारा अनुमोदन	ईडी स्तरीय इसी द्वारा अन्तिम अनुमोदन	बीओडी/ सीएमडी द्वारा निवेश अनुमोदन[2]	पीएस स्तर आबंटन तथा कार्यान्वयन	कुल
0	8	8	1	8	1	1	21	48

(*पीस = पावर स्टेशन; सीओ =निगमित कार्यालय; इडी स्तरीय इसी = कार्यकारी निदेशक स्तरीय संशक्त समिति*)

लेखापरीक्षा ने आरएण्डएम नीति तथा व्यापार प्रक्रिया में अभिकल्पित समय की तुलना में आरएण्डएम गतिविधियों के सभी चरणों में असामान्य विलम्ब देखा ***(अनुबन्ध-2 तथा 3)***। लगभग सभी पावर स्टेशनों में, उत्पादन इकाईयों के निर्दिष्ट संचालन घण्टे पूरे होने के पश्चात योजनाए प्रारंभ नहीं की गई थीं तथा निगमित कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई थी। शुरूआत के लिए जहाँ विलम्ब चार से 38 महीने तक था, वहीं निगमित कार्यालय को प्रस्तुत करने में यह चार से 64 महीनें तक था। एनटीपीसी ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) को छोड़कर ऐसे विलम्बों के लिए औचित्यपूर्ण/दर्ज कारण उपलब्ध नहीं कराए थे और बदरपुर टीपीएस के मामले में यह कहा गया था (दिसम्बर 2015) कि विलम्ब जून 2006 में विद्युत संयंत्र के स्वामित्त्व के अन्तरण के कारण था। तथापि, तथ्य यह था कि विद्युत संयंत्र का प्रबन्धन अप्रैल 1978 में एनटीपीसी को अन्तरित किया गया था तथा आरएण्डएम नीति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि उन पावर संयंत्रों में आरएण्डएम गतिविधियाँ प्रारंभ की जानी थी जिनका प्रबन्धन एनटीपीसी के पास था। कोरबा एसटीपीएस, दादरी टीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा झनोर जीपीएस के मामले में कार्यकारी निदेशक स्तरीय सशक्त समिति द्वारा योजनाओं के अनुमोदन में भी छह माह से 30 माह का विलम्ब देखा गया था जिसके लिए पैकेज के संशोधन जैसे विलोपन, मेगा-लाईफ से मिड-लाईफ एवं विलोमतः में परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया था यह दर्शाता है कि पैकेजों की शुरूआत पर्याप्त आंकलन के बिना की गई थी

[1] ईडी स्तरीय सशक्त समिति में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी निदेशक (संचालन सेवा), कार्यकारी निदेशक (इंजिनियरिंग), कार्यकारी निदेशक (वित्त) तथा कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक) शामिल हैं।

[2] शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार, सीएमडी ₹.150 करोड़ तक किसी इकाई के आरएण्डएम प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है।

अथवा वे संशोधन आरएण्डम नीति के अनुसार आरएण्डएम गतिविधियों की आवश्यकता के बजाए वित्तीय कारणों पर किये गए थे। इसने पैकेजों के अभिनिर्धारण तथा इसके लिए निर्दिष्ट समय सीमा के अनुपालन के उद्देश्य को विकृत कर दिया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि योजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान करने हेतू अनुबद्ध एक महीने की अवधि के प्रति एनटीपीसी ने इसे एक से 39 महीने तक विलम्बित किया। यह विलम्ब इस तथ्य के कारण था कि एनटीपीसी ने पिछले विनियमों 2004-09 की तुलना में सीईआरसी विनियमावली 2009-14 के अनुसार आरएण्डएम व्यय का दावा करने के लिए नीति को अन्तिम रूप देने में 21 महीने (19 जनवरी 2009 से 26 अक्तूबर 2010) का समय लिया। सीईआरसी ने 18 जनवरी 2009 को विनियम अधिसूचित किये तथा एनटीपीसी ने नीति के निरूपण के लिए 6 फरवरी 2009 को एक समिति नियुक्त की। यद्यपि समिति ने सात महीने से अधिक समय लिया तथा नीति अक्तूबर 2009 में प्रस्तुत की, तथापि यह अक्तूबर 2010 में बोर्ड के समक्ष रखी गई थी। यह महत्त्वपूर्ण है कि यह विलम्ब उस समय हुआ जब अनेक आरएण्डएम कार्य नीति को अन्तिम रूप दिए जाने के अभाव में रूके हुए थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि नई नीति को अक्तूबर 2010 में अन्तिम रूप दिया गया था, फिर भी अधिकतर पैकजों के लिए निवेश अनुमोदन फरवरी 2011 से अप्रैल 2013 के बीच प्रदान किया गया था।

एनटीपीसी ने बताया (अक्तूबर 2014/फरवरी तथा दिसम्बर 2015) कि मिड-लाईफ आरएण्डएम को आरएण्डएम के पहले चक्र के रूप में दर्शाया गया था तथा इसे आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया में विस्तार पूर्वक स्पष्ट नहीं किया गया था। मिड-लाईफ आरएण्डएम मुख्यतः आवश्यकता आधारित था तथा इसे अनिवार्य नहीं माना जाना था। आरएण्डएम व्यय के श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, उच्चतर प्राथमिकता वाली योजनाओं को लिया गया था तथा निम्नतर प्राथमिकता वाली योजनाओं को आस्थगित अथवा विलोपित किया गया था। मेगा-लाईफ योजनाओं के मामले में, पावर स्टेशनों की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण आरएण्डएम गतिविधियों को समग्र योजना को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। यह भी बताया गया था कि चूँकि सीईआरसी विनियमावली 2009-14 ने मिड-लाईफ आरएण्डएम के लिए क्षतिपूर्ति भत्तों में अन्तरण को अनिवार्य किया था, जिसके परिणामस्वरूप निधि की उपलब्धता कम हो गई, इसलिए सशक्त समिति को योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ी। आरएण्डएम नीति मुख्यतः उस समय प्रचलित परिचालन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पहली बार गठित की गई थी (मई 2002) तथा स्टेशनों के परिचालनात्मक अनुभव के आधार पर, मार्च 2006 में इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना है कि आरएण्डएम नीति 2002 तथा व्यापार प्रक्रिया 2006 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि योजनाएँ मिड-लाईफ तथा मेगा-लाईफ आरएण्डएम गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट संचालन घण्टों के पश्चात शुरू की जानी थीं। मुख्य उद्देश्य निर्दिष्ट समय सीमाओं में प्राथमिकता सहित उपयुक्त सावधानी बरतने वाली प्रक्रिया के माध्यम से पावर स्टेशनों के उपयोगी जीवन काल को बढ़ाने अथवा निष्पादन को सुधारने के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना था, क्योंकि आरएण्डएम को प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने में किसी विलम्ब का उत्पादन की बढ़ी हुई लागत अथवा अतिरिक्त व्यय के रूप में बृहत् वित्तीय परिणाम होगा। ये विलम्ब आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया 2006 में प्रत्येक गतिविधि के लिए चिन्हित समय के संदर्भ में गिने गए थे जो आरएण्डएम नीति 2002 के लिए एक पूरक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था। यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि जब आरएण्डएम गतिविधियों के लिए एक नीति यथास्थान थी, तो मुख्य उत्तरदायित्य यह सुनिश्चित करना था कि उनका पालन किया जाय ताकि निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें। सीईआरसी विनियमों में परिवर्तन के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी ने यह जानते हुए कि नीति को अन्तिम रूप दिये जाने के अभाव में अनेक आरएण्डएम पैकेज रूके पड़े थे, आरएण्डएम व्यय का दावा करने के लिए नीति को अन्तिम रूप देने में 21 महीने का समय लिया था जो उचित नहीं था। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि आठ पावर स्टेशन पहले ही अपने उपयोगी जीवन काल के 21 वर्ष पूरे कर चुके थे, फिर भी उन में से किसी ने विनियम 2009-14 की तुलना में विनियम 2014-19 में परिवर्तन के मद्देनजर नीति का निरूपण न किये जाने के कारण आरएण्डएम योजना नहीं बनाई थी।

(ख) निविदाकरण एवं आबंटन-

आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया 2006 के अनुसार, आरएण्डएम पैकेज निवेश अनुमोदन की तिथि से चार महीने के अन्दर प्रदान किये जाने थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यान्वयन हेतू चिन्हित 335[1] संविदा पैकेजों में से, 34 संविदा पैकेज निगमित कार्यालय द्वारा तथा 301 क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यालय द्वारा प्रदान किये जाने थे। निगमित कार्यालय ने पॉच से 55 महीने के विलम्ब के साथ 18 संविदा पैकेज प्रदान किये थे। पुनः विश्लेषण से पता चला कि निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी करने में दो से 50 महीने का विलम्ब था, एनआईटी जारी करने की तिथि से संविदा प्रदान करने में पॉच से 24 महीने का विलम्ब देखा गया था। इसी प्रकार, क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गए

---

[1] प्रारंभ में, अनुमोदित 20 आरएण्डएम योजनाओं में 272 संविदा पैकेज शामिल थे, यद्यपि विलोपन, इक्ट्ठा करने अथवा द्विभाजन के पश्चात ये 335 तक बढ़ गए थे।

पैकेजों के मामले में, 179 में से 149 संविदा पैकेजों में एक से 99 महीने का विलम्ब देखा गया था। इन विलम्बों के लिए उत्तरदायी ठहराए गए मुख्य कारण थे (i) निविदाकरण से पहले पैकेज में परिवर्तन, (ii) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत /एनआईटी में निर्दिष्ट कार्य समय सूचियों में विभिन्ता, (iii) अनुरक्षण/पूँजीगत मरम्मत, रोलिंग प्लान इत्यादि के अनुसार इकाईयों की अनुपलब्धता एवं (iv) आरएण्डएम योजनाओं की पैकेज सूची में बारम्बार संशोधन थे।

एनटीपीसी ने बताया (फरवरी 2015) कि आरएण्डएम नीति 2002 जारी करने के बाद, 2006 में एक संशोधित नीति जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, आबंटन प्रदान करने के लिए अनुमत समय अब संविदा परिपत्र सं. 665 दिनॉक 27 जुलाई 2012 द्वारा नियंत्रित होता था। इसने यह भी बताया (दिसम्बर 2015) कि यह परिपत्र एक सुझावस्वरूप परिपत्र था तथा कतिपय परिस्थितियों में अधिक समय की आवश्यकता हो सकती थी।

तथापि, तथ्य यह रहता है कि आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया 2006 निवेश अनुमोदन से संविदा प्रदान करने तक चार महीने की समय सीमा निर्धारित करती है जिसका पालन नहीं किया गया था तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराये गए कारण आरएण्डएम पैकेज प्रारंभ करने में योजना की कमी को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, संदर्भित संविदा परिपत्र ने एनआईटी के निवेश अनुमोदनों के बीच गतिविधियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। जुलाई 2012 का संविदा परिपत्र एनआईटी तथा आबंटन प्रदान करने के बीच गतिविधियों को पूरा करने के लिए 10 महीने की अवधि निर्धारित करता है। परिपत्र में निर्धारित समय सीमाओं को अपनाने के पश्चात भी 18 निगमित पैकेजों में से आठ में एक से 14 महीने का विलम्ब था।

11.5.3.2 आरएण्डएम पैकेजों का कार्यान्वयन

(क) समय अधिवहन

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी ने जुलाई 2007 से अप्रैल 2013 के दौरान नौ चयनित पावर स्टेशनों में (अंता जीपीएस को छोड़कर जो जुलाई 2004 में था) मार्च 2015 तक 15 की पूर्णता की निर्धारित तिथि के साथ 20 योजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, मार्च 2015 तक कोई भी योजना पूर्णतः पूरी नहीं हुई थी। मार्च 2015 तक प्रदान किये गए 197 पैकेजों में से, केवल 107 पैकेज पूरे हुए थे। 31 मार्च 2015 को पूरे हुए पैकेजों के संबंध में देखे गए विलम्ब निम्नलिखित चार्ट में दर्शाये गए हैं।

चार्टः 1 संविदा पैकेजों की पूर्णता में विलम्ब

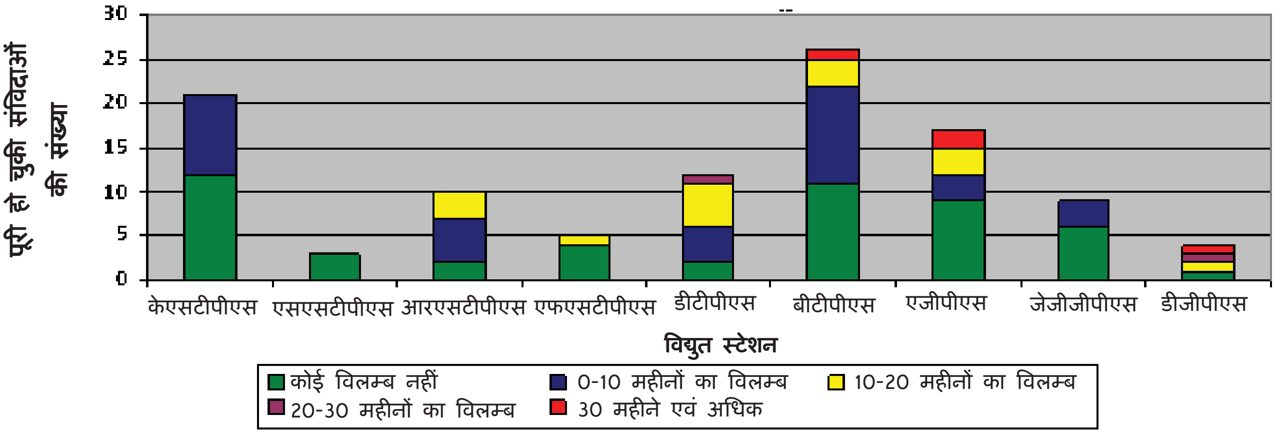

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरे हो चुके 107 पैकेजो में से 41 में विलम्ब हुआ था, जिसके लिए मुख्यतः एनटीपीसी कारण था तथा जिसमें निम्न शामिल है (i) निर्माण ड्राईंग/प्रणाली की आवश्यकताएँ जारी करने के विलम्ब (बदरपुर टीपीएस, रामागुन्डम एसटीपीएस, फरक्का एसटीपीएस तथा कोरबा एसटीपीएस) (ii) फ्रंट उपलब्ध कराने में विलम्ब (रामागुन्डम एसटीपीएस तथा अंता जीपीएस), (iii) ड्राईंग तथा दस्तावेजों जैसे गुणवत्ता आश्वासन योजना, प्रकार जॉच इत्यादि के अनुमोदन में विलम्ब तथा अस्पष्ट प्रेषण पूर्ण निरीक्षण खण्ड (बदरपुर टीपीएस, रामागुन्डम एसटीपीएस, कोरबा एसटीपीएस तथा सिंगरौली एसटीपीएस), (iv) इंजिनियरिंग डिवीजन द्वारा मृदा की जॉच रिपोर्ट में विलम्ब (बदरपुर टीपीएस), (v) संविदा पैकेज में जोड़ा गया अतिरिक्त कार्य क्षेत्र (बदरपुर टीपीएस तथा दादरी टीपीएस), एवं (vi) सामग्री के प्रतिष्ठापन के लिए इकाईयों में कार्य बन्द करने की अनुपलब्धता (दादरी टीपीएस, बदरपुर टीपीएस, अंता जीपीएस, कोरबा एसटीपीएस, सिंगरौली एसटीपीएस तथा फरक्का एसटीपीएस)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ईकाईयों के उपलब्ध कार्य बन्द के साथ खरीद गतिविधियों का ताल मेल न होने के कारण इकाईयों में कार्य बन्द उपलब्ध होने तक सामग्री निष्क्रिय पड़ी रही। इसी प्रकार, 107 पैकेजों में से पॉच में, विलम्ब के कारण ठेकेदारों की ओर से थे तथा इसमें निष्पादन गारन्टी जॉच में विलम्ब (दादरी टीपीएस), सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब तथा आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि को भेजने में विलम्ब/विफलता (रामागुन्डम एसटीपीएस) शामिल हैं। इन विलम्बों के परिणामस्वरूप, एनटीपीसी ने बलात आउटेज, अधिक कोयला खपत तथा पर्यावरणीय मानकों की अननुपालना इत्यादि के कारण हानि वहन की। यद्यपि, रामागुन्डम एसटीपीएस को छोडकर जहॉ पूरे हो चुके 12 पैकेजों में ₹1.10 करोड़ का लागत अधिवहन देखा गया था, पूरे हो चुके पैकेजों में कोई लागत अधिवहन नहीं देखा गया था।

एनटीपीसी ने, पूरे हो चुके पैकेजों में विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करते हुए, यह स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) कि 2006 में विक्रेताओं से बजटीय प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव प्रारंभ किये गए थे तथा समय अन्तराल के कारण कुछ योजनाओं के आबंटन मूल्य में अल्प वृद्धि हुई है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि इस विलम्ब के परिणामस्वरूप परिहार्य बलात आउटेज तथा अधिक कोयला की खपत हुई क्योंकि विद्युत संयत्र पुरानी/दोष पूर्ण प्रणालियों के साथ प्रचालित किए गए थे।

(ख) कार्यान्वयन के अन्तर्गत पैकेज

लेखापरीक्षा ने कुछ पैकेजों के कार्यान्वयन में बहुत अधिक विलम्ब पाया जिसके कारण एनटीपीसी अतिरिक्त व्यय/परिहार्य व्यय वहन कर रही थी जैसा कि तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका-4: विलम्बित कार्यान्वयन के निदेर्शी मामले

अभ्युक्ति	एनटीपीसी उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी
(i) कूलिंग वाटर डक्टों के निसरण के कारण हानि - सिंगरौली एसटीपीएस में एक कूलिंग वाटर डक्ट में 1990 से निसरण हो रहा था तथा एक पूरक पम्प चलाना पड़ता था जिससे ₹1.97 करोड़ प्रति वर्ष के अतिरिक्त उर्जा प्रभार खर्च हो रहे थे। भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलौर की सलाह पर (अप्रैल 2009), मैसर्स आईवीआरसीएल इन्फ्रा स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजैक्ट्स लि. को मई 2013 तक निर्धारित पूर्णता सहित ₹68.05 करोड़ के लिए एक संविदा प्रदान की गई थी (मई 2011)। तथापि, मार्च 2015 तक 50 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया गया था, यद्यपि एनटीपीसी ने निर्णीत हर्जाने के प्रति ₹1.71 करोड़ रोक लिए थे, पर इसने मार्च 2016 तक समय विस्तारण दिया। अतः ₹1.97 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय वहन करने के बावजूद (2012 से 2015 तक ₹7.88 करोड़), एनटीपीसी यह सुनिचित नहीं कर सका कि अतिरिक्त व्यय के परिहार के लिए परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाए जबकि कार्य मई 2011 में प्रदान किया गया था।	एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि एक बार पुरानी डक्ट बदलने के बाद, सदा के लिए उर्जा हानियों को रोक लिया जाएगा। कार्य कोई भी इकाई बन्द किये बिना किया गया था, जिस विकल्प के परिणामस्वरूप काफी अधिक हानि के अलावा विद्युत आपूर्ति में विघ्न/मंहगी विद्युत की स्थिति होती जो उर्जा प्रभारों से कहीं अधिक था। यह भी बताया गया था कि अब कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। तथापि, यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि डक्ट कोई अलग इकाई बन्द किये बिना ही बिछायी जानी थी तथा डक्ट के दोनों सिरों को वार्षिक कार्य बन्दी के दौरान ही प्रणाली में जोड़ने की योजना बनाई गई थी।
(ii) खराब जल गुणवत्ता के कारण हानि – बदरपुर टीपीएस के लिए स्वच्छ जल की तात्कालिक आवश्यकता के लिए, एनटीपीसी ने ₹239.88 करोड़ में जल शीतलक प्रणाली के लिए आरएण्डएम कार्य	एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) तथा दिल्ली सरकार प्रदूषण के उच्च स्तरों का तर्क देते हुए स्टेशन को बन्द करने पर विचार करने

अभ्युक्ति	एनटीपीसी उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी
अनुमोदित किये (जुलाई 2011)। प्रणाली के कुल 37 पैकेजों में से (2 प्रमुख निगमित, एक क्षेत्रीय तथा 34 स्थानीय पैकेज) दो बड़े निगमित तथा 22 स्थानीय पैकेज प्रदान नहीं किये गए थे (अक्तूबर 2015)। यह देखा गया था कि खराब जल गुणवत्ता के कारण पावर स्टेशन समस्याओं जैसे कन्डेन्सर टयूबों का अबरूद्ध हो जाना, वारम्बार बैक वाशिंग/कन्डेन्सर की सफाई, कन्डेन्सर टयूबों को बदलना, बायॅलर टयूब में निसरण इत्यादि। का सामना कर रहा था इसके परिणामस्वरूप कन्डेन्सर के सफाई कार्य, कन्डेन्सर टयूब के प्रतिस्थापन, आंशिक भार कम करना के कारण ₹ 33.77 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ था तथा हाइड्रोजन एमब्रिटेलमेन्ट के कारण जिससे 2011 से 2015 के दौरान वायॅलर ट्यूब में निसरण हो गया था, ₹138.42 करोड़ मूल्य की 423.512 मीलियन यूनिट (एमयू) बिजली की उत्पादन हानि हुई।	का अनुरोध कर रहे थे। चूंकि, स्टेशन दिल्ली की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा था। इसके मद्देनजर, पैकेज शुरू नहीं किये जा रहे थे। तथापि तथ्य यह रहता है कि एनटीपीसी दो इकाईयों के लिए पहले ही प्रदूषण को कम करने के लिए अप्रैल 2014 तथा मई 2015 में पैकेज पूरे कर चुका है तथा इन इकाईयों में से एक को नियमित रूप से चलाया जा रहा है और प्रदूषण स्तर अब डीपीसीसी प्रतिमानों के अनुकूल था। चूंकि इकाईयों को बन्द करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एनटीपीसी इकाईयों का संचालन तथा परिहार्य व्यय एवं उत्पादन हानि वहन करना जारी रखेगा।
(iii) आदेश देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त/व्यर्थ व्यय –सिंगरौली एसटीपीएस में (चरण-1) 18 फीडर वाले ग्रेवीमैट्रिक फीडर कन्ट्रोलर[1] (जीएफसी) प्रणाली के लिए ₹1.97 करोड़ की अनुमानित लागत पर आर एण्ड एम पैकेज अनुमोदित किया गया था (नवम्बर 2003)। मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) मैसर्स स्टॉक रेडलर को ₹3.59 करोड़ पर यह कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को उच्च मूल्य का बताते हुए रद्द कर दिया गया था (23 सितम्बर 2006) तथा यह ₹0.63 करोड़ (दो फीडर के लिए) पर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (भेल) को देने का निर्णय किया गया था (11 फरवरी 2008)। चूंकि भेल द्वारा शुरू किये गए जीएफसी ने सहीं ढंग से कार्य नहीं किया, इसलिए सभी 18 फीडरों के पुनः संयोजन का कार्य अप्रैल 2016 तक पूरा करने की योजना के साथ ₹6.82 करोड़ पर ओईएम ठेकेदार को प्रदान किया गया था (मार्च 2015) परिणामस्वरूप एनटीपीसी ने न केवल मूल्य वृद्धि के प्रति ₹4.85	एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि कार्य खरीद की लागत तथा विदेशी विक्रेता पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया था तथा यदि यह सफल हो जाता तो इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में बचत होती। उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि यद्यपि एनटीपीसी ने ओईईम ठेकेदार को कार्य प्रदान न करने के लिए उच्च लागत का हवाला दिया था जिसने 18 फीडरों के लिए कुल ₹3.59 करोड़ की राशि उद्धृत की थी (अर्थात ₹0.20 करोड़ प्रति फीडर), तथापि इसने ₹0.32 करोड़ प्रति फीडर पर भेल को कार्य प्रदान किया था। इसलिए, यह तर्क कि इसने लागत घटाने के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्य किया था, तथ्यात्मक नहीं है।

[1] जीएफसी कोयले के लिए एक भार मापन प्रणाली है। कोयला बंकर में कोयला सम्भलाई संयंत्र के लदान के पश्चात कोयला मिल मे कोयला इनपुट जीएफसी के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

अभ्युक्ति	एनटीपीसी उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी
करोड़ (₹6.82 करोड़-₹1.97 करोड़) की हानि वहन की बल्कि भेल द्वारा आपूर्ति किये गए फीडरों के कारण ₹0.63 करोड़ का व्यर्थ व्यय भी वहन किया।	
(iv) दोषपूर्ण कार्य को सुधारने में विलम्ब – सिंगरौली एसटीपीएस में, लोड़ ट्यूब सफाई प्रणाली पर कन्डेन्सर का कार्य कुल ₹3.41 करोड़ के मूल्य पर मैसर्ज टेक्नोज एट कम्पैग्ने, फ्रांस को आपूर्ति के लिए (अक्तूबर 2005) तथा मैसर्ज मैक्मेट इण्डिया लि. (जनवरी 2006) को भारत से आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन के लिए प्रदान किया गया था कार्य फरवरी 2008 में पूरे हो गए थे तथा जॉच करने पर यह देखा गया था कि सहमत 95 प्रतिशत बॉल रिकवरी के प्रति केवल 60 प्रतिशत बॉल रिकवरी हुई थी। इसलिए, ठेकेदारों को चूक नोटिस भेजे गए थे (दिसम्बर 2010) तथा उन्हें भुगतान किये गए ₹2.53 करोड़ कि प्रतिपूर्ति करने को कहा गया (जून 2015)। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दोषपूर्ण कार्य अभी तक ठीक नहीं किया गया था (मार्च 2015)।	एनटीपीसी ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) कि गारन्टीबद्ध निष्पादन प्राप्त न करने के कारण ₹0.65 करोड़ के बराबर बैंक गारन्टी भुना ली गई थी। तथापि तथ्य यह रहता है कि एनटीपीसी ने शेष बैंक गारन्टियाँ *(यूरो 88683 तथा ₹ 0.25करोड़)* नहीं भुनाई थी जबकि इसने दिसम्बर 2010 में विफलता का नोटिस जारी किया था तथा दोष पूर्ण कार्यों को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था जिसके कारण कोयले की अधिक खपत हो रही है।
(v) उच्च शाफ्ट कंपन के कारण उत्पादन हानि – सिंगरौली एसटीपीएस में चूंकि सभी सातों इकाईयों के टर्बो जेनरेटर वियरिंग्स का उपयोगी जीवन काल (200,000 संचालन घण्टे) 2008 से 2013 के बीच पूरा हो गया था, इसलिए इकाई #1 से 5 के लिए बियरिंग्स के अद्यतन हेतू एक पैकेज अप्रैल 2013 में अनुमोदित किया गया था, परन्तु मार्च 2015 तक इसके लिए संविदा प्रदान नहीं की गई थी। इसी बीच यूनिट #6 एवं 7 के लिए वियरिंग्स की खरीद हेतू एक खरीद आदेश दिया गया था (अक्तूबर 2013), परन्तु मार्च 2015 तक आपूर्ति पूरी नहीं हुई थी। चूंकि बियरिंग्स का प्रचालन उनके उपयोगी जीवन काल के बाद तक किया जा रहा था, इसलिए यूनिट #1,2, 5 एवं 6 में उच्च कम्पन देखा गया था जिसके कारण इकाईयों को 2009-10 से 2014-15 के दौरान 2297 घण्टों तक बलात बन्द रखना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप ₹131.36 करोड़ मूल्य की 763.53 एमयू की उत्पादन हानि हुई।	एनटीपीसी ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) कि बियरिंग को बदलने का निर्णय बियरिंग के डाई पेनेट्रेशन टेस्ट तथा अल्ट्रासोनिक टेस्ट में देखे गए विचलन के आधार पर लिया गया था। यह भी बताया गया था कि लेखापरीक्षा पैरा में दर्शाये गए मुद्दे का पहले ही समाधान किया जा चुका है तथा ये इकाईयाँ वर्तमान में पूरा उत्पादन करते हुए दुरूस्त अवंस्था में हैं। उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि यद्यपि बियरिंग ने 2008 से अपने उपयोगी जीवन काल को पूरा कर लिया था, फिर भी यह अब तक बदला नहीं गया था (दिसम्बर 2015), तथा इस अवधि के दौरान छह इकाईयों में से चार बलात बन्द पड़ी हुई थी जिसके कारण उत्पादन हानि हो रही थी।

11.5.3.3 आरएण्डएम पैकजों के कार्यान्वयन में विलम्ब का प्रभाव

(क) ₹881.89 करोड़ की अधिक कोयला खपत

बढ़ते हुए उपयोगकाल के साथ विद्युत उत्पादन इकाईयों की दक्षता[1] कम हो जाती है, जबकि अच्छी संचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रियाएँ एवं समय पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण इकाईयों को पहले ह्रास हो चुके निष्पादन की कुछ मात्रा वापस पाने में सक्षम करते हुए उन्हें डिजाईन पैरामीटरों के निकट रखते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ, एनटीपीसी ने विद्युत संयंत्र की थर्मल दक्षता को बढ़ाने के लिए अनेक आरएण्डएम पैकेज प्रारंभ किये थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित समय पर आरएण्डएम पैकेजों के पूरा न होने के कारण विद्युत संयंत्र खराब थर्मल दक्षता के कारण अधिक कोयले की खपत कर रहे है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिन्होंने एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों की थर्मल दक्षता को प्रभावित किया था, जिनमें ये शामिल थे (i) फीडर नियंत्रण प्रणाली कोर्डों की खराबी के कारण भट्टी में गलत कोयला प्रवाह ग्रहण करना (कोरबा एसटीपीएस), (ii) उच्च दाब हीटर का अभाव, वायु प्रीहीटर में 136 डिग्री सेल्सियस से अधिक फ्लू गैस तापमान ईत्यादि (सिंगरौली एसटीपीएस), (iii) बायलर तथा बॉयलर सहायक में समस्याएँ (रामागुन्डम एसटीपीएस), तथा (iv) विद्युत संयंत्रों की अधिक आयु (बदरपुर टीपीएस, दादरी टीपीएस तथा फरक्का टीपीएस)। परिणामस्वरूप, विद्युत संयंत्र खराब थर्मल दक्षता के साथ संचालित हो रहे थे तथा अधिक कोयला खपत कर रहे थे जैसा कि तालिका-5 में दर्शाया गया है।

तालिका-5: खराब थर्मल दक्षता के कारण अधिक कोयला खपत का ब्यौरा

क्र सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	प्रारंभ करने की वास्तविक तिथि से निर्धारित पूर्णता	अभिकल्पित/वॉछित* दक्षता (%)	वास्तविक दक्षता रेंज (%)	हानि की अवधि	खपत[2] किया गया अधिक कोयला (लाख एमटी)	अधिक कोयले का मूल्य (करोड़ ₹ में)
1	कोरबा चरण-I	2010-11	37.73	35.70 से 35.73	2011-15	7.34	88.05
2	सिंगरौली चरण-I	2011-12	37.19	35.97 से 36.16	2012-15	5.31	81.50
3	बदरपुर टीपीएस चरण-II	2008-09*	33.73*	32.97 से 33.86	2009-15	1.57	37.85
4	दादरी टीपीएस चरण-I	2008-09*	36.32*	35.76 से 36.04	2009-15	2.85	119.91

[1] टिप्पणीः दक्षता-860/हीट दरः जैसे जैसे हीट दर बढ़ती है, दक्षता कम हो जाती है।

[2]अधिक कोयला खपत = {(अभिकल्पित हीट दर/कोयले का वास्तविक जीसीवी)*उत्पादन}-वास्तविक कोयला खपत

क्र सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	प्रारंभ करने की वास्तविक तिथि से निर्धारित पूर्णता	अभिकल्पित/वॉछित* दक्षता (%)	वास्तविक दक्षता रेंज (%)	हानि की अवधि	खपत[2] किया गया अधिक कोयला (लाख एमटी)	अधिक कोयले का मूल्य (करोड़ ₹ में)
6	रामागुन्डम एसटीपीएस चरण-I	2010-11	39.05	36.29 से 36.59	2011-15	8.11	221.52
7	रामागुन्डम एसटीपीएस चरण-II	2010-11	37.77	36.16 से 36.39	2011-15	12.24	333.06
	जोड़					**37.42**	**881.89**

(*): इन विद्युत संयंत्रों में, वांछित दक्षता लागू की गई थी तथा अधिक कोयला खपत मात्र 2008-09 से ही निकाली गई थी, क्योंकि प्रबन्धन ने थर्मल दक्षता में सुधार का अनुमान लगाया था।

एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि विभिन्न परिवेशी परिस्थितियों, भार अन्तर, कोयले की खराब गुणवत्ता, लम्बी अवधि तक निरंतर संचालन के कारण भार, अनेक बार प्रारंभ करने इत्यादि के कारण अभिकल्पित दक्षता की तुलना में वास्तविक थर्मल दक्षता में व्यापक अन्तर था। सीईआरसी ने वास्तविक संचालन परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए हीट रेट प्रतिमानों को अधिसूचित करते समय कतिपय अन्तर अनुमत किया है तथा यह उन प्रतिमानों के भीतर रहते हुए संचालन कर रहा है। कोरबा एसटीपीएस के मामले में कोयला प्रवाह के माप के संबंध में, यह बताया गया था कि इसका दहन से कोई संबंध नहीं है। वायु प्रवाह आक्सीजन माप के माध्यम से बनाया गया था तथा कभी कभी-फीडर नियंत्रण कार्डों की विफलता से निरंतर हानि नहीं होगी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि कोयले की गुणवत्ता की हानि की गणना करते समय एनटीपीसी द्वारा दावा किए गए कोयले के सकल कैलोरिफिक मूल्य के संदर्भ में अतिरिक्त कोयला खपत की गणना की गई है तथा इसलिए कोयले की खराब गुणवत्ता पर पहले ही विचार किया गया था। चूंकि सभी विद्युत स्टेशनों में वास्तविक थर्मल दक्षता अभिकल्पना से कम थी, इसलिए आरएण्डएम योजनाओं को चिन्हित किया गया था तथा इनके पूरा न होने के परिणामस्वरूप कोयले की निरंतर अतिरिक्त खपत हुई। सीईआरसी द्वारा निर्धारित हीट दर के संबंध में यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि सीईआरसी संयंत्र की वर्तमान प्रचालन परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रतिमान निर्धारित करती है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ थर्मल दक्षता में सुधार करने के संबंध में आरएण्डएम के वॉछित उद्देश्य प्राप्त न करने के संबंध में हैं। आरएण्डएम पैकेजों के माध्यम से एनटीपीसी ने विद्युत स्टेशनों में हीट रेट सुधार की परिकल्पना की

थी तथा यदि ये प्राप्त कर लिए जाते तो सीईआरसी तदनुसार प्रतिमान को संशोधित करती। कोरबा एसटीपीएस के संबंध में, यह देखा गया था कि फीडर नियंत्रण प्रणाली कार्डों की खराबी के कारण, भट्टी में गलत कोयला प्रवाह की संभावना थी जिसके कारण कोयले की गलत गिनती होती जिससे अनुचित दहन तथा भट्टी क्षेत्र में अदाह्य का जमाव अथवा दक्षता एवं हीट रेट की हानि होती हैं।

(ख) बलात आउटेज के परिणामस्वरूप ₹489.29 करोड़ की उत्पादन हानि

एनटीपीसी ने बलात-आउटेज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, विभिन्न आरएण्डएम पैकेजों जैसे नियंत्रण एवं यंत्रीकरण (सीएण्डआई) पैकेज, इलैक्ट्रीकल पैकेज, बॉयलर पैकेज तथा टरबाईन पैकेज को चिन्हित किया तथा 2007-15 के दौरान इन्हें पूरा करने की योजना बनाई। तथापि, चूंकि ये पैकेज समय पर पूरे नहीं हुए थे, इसलिए 2007-2015 के दौरान उपरोक्त प्रणालियों की विफलता के कारण 3917.97 घण्टे का बलात आउटेज देखा गया था। इसके परिणामस्वरूप आठ पावर स्टेशनों में ₹489.29 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व के अर्जन का अवसर चूक गया एवं 1924.77 एमयू की उत्पादन हानि हुई जैसा तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6: संयंत्र-वार बलात आउटेज का ब्यौरा

क्रम सं.	पावरसंयंत्र का नाम	हानि की अवधि	घण्टे	इकाई (एमयू)	राशि (करोड़ में)
1	कोरवा एसटीपीएस	2011-15	53.32	22.07	3.85
2	सिंगरौली एसटीपीएस	2012-15	67.92	30.60	5.34
3	झानौर जीजीपीएस	2009-15	7.44	1.47	0.94
4	दादरी जीपीएस	2008-15	1266.09	191.47	65.92
5	दादरी टीपीएस	2007-15	1607.83	340.95	122.62
6	बदरपुर टीपीएस	2007-15	548.26	115.13	42.99
7	अंता जीपीएस	2007-15	367.11	45.19	15.88
8	रामागुन्डम एसटीपीएस	2011-15	उपलब्ध नहीं@	1177.90	231.75
	जोड़		**3917.97**	**1924.77**	**489.29**

@ संयंत्र द्वारा ब्यौरे नहीं बनाए गए थे

एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि एक विद्युत संयंत्र में, लगभग 5 से 6 प्रतिशत का नियोजित आऊटेज, 2 से 3 प्रतिशत का बलात आउटेज तथा आम तौर पर 1 से 2 प्रतिशत की आशिंक लोडिंग रहती थी तथा यह सामान्य मानी जाती थी। इससे बेहतर निष्पादन प्राप्त करने के लिए विशाल प्रयासों तथा निवेश की आवश्यकता होगी जो शायद लाभ के अनुरूप ना हो। 2004-09 तथा 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ के

दो भाग है, नामतः क्षमता प्रभार (वार्षिक निर्धारित लागत की वसूली हेतू) तथा उर्जा प्रभार। निर्धारित घटक वार्षिक उपलब्धता के आधार पर वसूल किया गया था जबकि परिवर्ती घटक ईधन लागत के प्रति वसूल किये गए थे। सीईआरसी विनियम स्टेशनों के लिए वार्षिक लक्ष्य संयंत्र उपलब्धता कारक को निर्दिष्ट करते हैं तथा यदि निर्दिष्ट लक्ष्य उपलब्धता प्राप्त कर ली जाती थी तो पूरी निर्धारित लागत वसूल की जाती थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना है कि बलात आउटेज प्रणालियों जैसे सीएण्डआई, इलैक्ट्रीकल तथा बॉयलर तथा सहायक प्रणालियों इत्यादि के लिए आरएण्डएम पैकेजों के पूरा न होने के कारण हुए थे जो 2007-15 के दौरान कार्यान्वयन हेतू आरएण्डएम योजनाओं में अभिकल्पित किये गए थे। यद्यपि सीईआरसी ने बलात आउटेज के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किये हैं, तथापि एनटीपीसी ने अपने द्वारा अथवा किसी अन्य सक्षम निकाय द्वारा निर्धारित कोई अनुमोदित प्रतिमान प्रस्तुत नहीं किये जो औद्योगिक बैंचमार्क माने जाने हों। लेखापरीक्षा ने केवल परिवर्ती मूल्य तथा उन अवधियों के लिए जिनमें आएण्डएम पैकेज पूरे होने थे का अनुमान लगाते हुए उत्पादन हानि की गणना की है।

(ग) पर्यावरणीय प्रतिमानों का अननुपालन

आरएण्डएम गतिविधियों के भाग के रूप में, पॉच विद्युत स्टेशनों (अर्थात कोरबा एसटीपीएस, सिंगरौली एसटीपीएस, बदरपुर टीपीएस, फरक्का एसटीपीएस तथा रामागुन्डम एसटीपीएस) के उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए इन स्टेशनों में ईएसपी योजनाएँ अनुमोदित की गई थी ताकि राज्य एजेन्सियों द्वारा निर्धारित प्रतिमान पूरे किये जा सकें। तालिका-7 पॉच में[1] से चार विद्युत स्टेशनों में उत्सर्जन स्तर बनाम प्रतिमानों को दर्शाती है।

---

[1] तथापि, रामागुन्डम एसटीपीएस में, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किये गए ईएसपी स्तर 2007-08 से 2014-15 के सभी वर्षों के लिए मानक के अन्तर्गत थे, परन्तु निरीक्षण के दौरान ऑध प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानको से उच्चर ईपीएस स्तर देखा है।

तालिका -7: प्रदूषण प्रतिमान बनाम वास्तविक का ब्यौरा

वर्ष	कोरबा चरण-I एवं II (इकाई 1 से 6)	सिंगरौली चरण-I एवं II (इकाई 1 से 7)	बदरपुर पीएस चरण-II (इकाई 4 से 5)	फरक्का एसटीपीएस, चरण-I एवं II (इकाई 1 से 6)
	धुँआ उत्सर्जक सीमा स्तर (एमजी/एनएम^3) (औसत)			
प्रतिमान	**50**	**100**	**50**	**150**
2007-08	NA	126.00	NA	163.50
2008-09	122.39	128.50	NA	87.00
2009-10	122.55	128.00	80.50	84.50
2010-11	118.79	129.00	85.50	74.00
2011-12	92.37	127.50	87.00	136.00
2012-13	111.65	127.00	98.50	166.50
2013-14	90.70	128.50	96.00	71.50
2014-15	99.64	126.00	99.50	119.50

यह देखा जा सकता है कि उत्सर्जन स्तर प्रदूषण नियंत्रण एजेन्सियों द्वारा निर्धारित स्तरों से उच्चतर थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि केन्द्रीय/राज्य एजेन्सियों ने प्रदूषण प्रतिमानों का पालन करने के लिए निर्देश दिये थे, लेकिन ईएसपी पैकेजों के कार्यन्वयन में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रतिमानो की लगातार अननुपालना हुई थी। परिणामस्वरूप, एनटीपीसी को 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोरबा एसटीपीएस तथा बदरपुर टीपीएस के लिए ₹27.86 करोड़ की बैंक गारन्टी जमा करानी पड़ी थी तथा कोरबा एसटीपीएस तथा सिंगरौली एसटीपीएस में अमोनिया डोजिंग प्रणाली के लिए ₹7.32 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

एनटीपीसी ने बताया (फरवरी 2015/जनवरी 2016) कि राज्य एजेन्सियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य एक पुराने स्टेशन के लिए बहुत सख्त था तथा जटिल तकनीकी मामलों के कारण ईएसपी पैकेज के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की अवधि व्यवहार्य नहीं थीं। आगे यह भी बताया गया था कि बदरपुर टीपीएस (चरण-II) की इकाई # 4 एवं 5 में ईएसपी पैकेज की शुरूआत के बाद, उत्सर्जन स्तर तय सीमा में थे। तथापि, तथ्य यह रहता है कि यद्यपि राज्य एजेन्सियों ने काफी पहले 2005 में प्रतिमान निर्धारित किये थे, फिर भी एनटीपीसी द्वारा अभी तक पैकेज पूरे किए जाने थे (दिसम्बर 2015) इसलिए इसे अमोनिया डोजिंग प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए ₹7.32 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

(घ) ₹199.65 करोड़ की घटी हुई टैरिफ वसूली

2009-14 के दौरान एनटीपीसी ने चार कोयला आधारित पावर स्टेशनों[1], में मिड-लाईफ आरएण्ड एम योजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त किया था, जबकि योजनाएँ 2004-09 के दौरान कार्यान्वयन हेतू नियत थीं। इसके परिणामस्वरूप, चार विद्युत संयंत्रों में टैरिफ वसूली ₹ 199.65 करोड़ तक घट गई थी जैसा कि तालिका 8 में दर्शाया गया हैं।

तालिका-8: आरएण्डएम पैकेजों के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण छोड़ी गई राशि को दर्शाने वाली गणना

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ ₹ में)	25 वर्षों तक विनियम 2009-14 के अन्तर्गत सीईआरसी द्वारा अनुमत/अनुमत की जानेवाली राशि (करोड़ ₹ में)	छोड़े गए लाभ (अर्थात विनियम 2004-09 के अन्तर्गत दावा न करके) (करोड़ ₹ में)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
1.	कोरबा चरण –II	2	105.03	53.80	51.23
2.	सिंगरौली,चरण-II	2	67.44	30.55	36.89
3.	दादरी, चरण-I	1	120.78	57.12	63.66
4.	रामागुन्डम, चरण-II	1	111.02	63.15	47.87
	जोड़	**6**	**404.27**	**204.62**	**199.65**

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है, ₹404.27 करोड़ के कुल अनुमानित व्यय में से, सीईआरसी द्वारा उपरोक्त विद्युत स्टेंशनों के उपयोगी जीवन काल तक क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में केवल ₹204.62 करोड़ अनुमत किये गए थे अथवा अनुमत किये जाने थे। इसके विपरीत, निर्धारित समय में अर्थात 2004-09[2] के दौरान आर एण्ड एम गतिविधियाँ पूर्ण करने से सीईआरसी विनियमावली 2004-09 के अनुसार अतिरिक्त पूँजीकरण के रूप में ₹404.27 करोड़ की वसूली होती।

---

[1]कोरबा एसटीपीएस चरण-II, सिंगरौली एसटीपीएस चरण-I, दादरी टीपीएस तथा रामागुन्डम एसटीपीएस चरण-II.

[2] एनटीपीसी की आरएण्डएम नीति/आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया के अनुसार, कोरबा चरण-II सिंगरौली चरण-II, रामागुन्डम चरण-II तथा दादरी टीपीएस का आरएण्ड एम कार्य क्रमशः मार्च 2002, मार्च 2001, मार्च 2003 तथा मार्च 2006 तक पूरा होना था।

एनटीपीसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि प्रस्तावों के निरूपण तथा उनके अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय की आवश्यकता थी। यह और अधिक समय लेने वाला हो गया विशेष कर तब जब सीईआरसी ने विनियामक प्रतिमानों में परिवर्तन किया था। यदि इसने इन योजनाओं को लागू किया होता और 2004-09 के दौरान भी टैरिफ का दावा किया होता तो भी यह निश्चित नहीं था कि सीईआरसी द्वारा समग्र राशि की प्रतिपूर्ति की जाती। टैरिफ निर्धारण सुविचारित जॉच के पश्चात किया गया था तथा सीईआरसी ऐसी जॉचों के बाद शायद कम योजनाओं/कम लागत की मंजूरी देता। यह भी बताया गया था कि एनटीपीसी द्वारा आरएण्डएम पर वहन किये गए वास्तविक व्यय तथा सीईआरसी द्वारा अनुमत राशि ही तुलनीय थीं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि स्वयं एनटीपीसी ने ही आरएण्डएम गतिविधियों को आवश्यक माना था तथा वहन की जाने वाली लागत का अनुमान लगाया था तथा विनियमावली 2009-14 के अनुसार इसे अनुमानित लागत के बजाए 25 वर्ष पूरे करने तक प्रति स्टेशन एक मुश्त राशि में क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान किया जाना था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विनियमावली 2004-09 के अनुसार, एनटीपीसी आरएण्डएम पर अतिरिक्त पूंजी के रूप में व्यय की बुकिंग कर रहा था तथा एनटीपीसी द्वारा योजना अथवा लागत को कम करने की कोई घटना दर्शायी नहीं गई थी सीईआरसी द्वारा सुविचारित जाँच अथवा कम योजनाओं/लागत के अनुमोदन का तर्क सही नही है। वास्तविक लागत एवं वसूली की तुलना के संबंध में, यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि चूंकि एनटीपीसी ने कार्य पूरे नहीं किये थे, इसलिए वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं था अतः अनुमानित लागत के साथ तुलना की गई थी।

(ड.) आरएण्डएम व्यय को अस्वीकार करने के कारण ₹23.42 करोड़ की हानि

एनटीपीसी ने 2009-14 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में टैरिफ के माध्यम से दादरी जीपीएस के लिए ₹591.35 करोड़ तथा झानौर जीजीपीएस के लिए ₹499.45 करोड़ के आरएण्डएम व्यय का दावा किया। तथापि, सीईआरसी ने अनुमत करते समय, दादरी जीपीएस के लिए ₹380.62 करोड़ (जून 2012) तथा झानौर जीजीपीएस के लिए ₹170.17 करोड़ (दिसम्बर 2011) स्वीकार किये तथा दादरी जीपीएस के लिए ₹210.72 करोड़ तथा झानौर जीजीपीएस के लिए ₹329.28 करोड़ अस्वीकार कर दिये क्योंकि एनटीपीसी टैरिफ अवधि के अन्दर कार्यों को पूरा करने में विफल हुआ था तथा लाभार्थियों को लाभ अगली टैरिफ अवधि में ही मिलना था। परिणामस्वरूप, सीईआरसी विनियमों के अनुसार, एनटीपीसी को टैरिफ के माध्यम से संग्रहीत राशि ₹23.42 करोड़ के ब्याज के साथ लाभार्थियों को लौटानी पड़ी।

एनटीपीसी ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014/दिसम्बर 2015) कि इसने लाभार्थियों को दादरी जीपीएस के मामले में ₹8.42 करोड़ के ब्याज के साथ ₹87.76 करोड़ तथा झानौर जीजीपीएस के मामले में ₹15 करोड़ के ब्याज के साथ ₹109 करोड़ लौटाए थे। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एनटीपीसी को आरएण्डएम योजनाओं के विलम्बित कार्यान्वयन के कारण ही ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।

निष्कर्ष

एनटीपीसी ने संयंत्र, उपस्करों तथा प्रणालियों के निष्पादन के बेहतर स्तरों को बनाए रखने तथा इनके उपयोगी जीवन काल को बढ़ाने के उद्देश्य से आरएण्डएम नीति का गठन किया था (मई 2002)। आरएण्डएम गतिविधियों को लागू करने के लिए सामयिकता को व्यवस्थित करने के लिए, एनटीपीसी ने आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया 2006 का भी निरूपण किया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नीति तथा व्यापार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण आरएण्डएम पैकेजों को प्रारंभ करने तथा कार्यान्वित करने में असामान्य विलम्ब हुए। नौ विद्युत स्टेशनों में चयनित 20 मे से 19 योजनाओं में आरएण्डएम कार्यों से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने में तीन से 109 महीनों का विलम्ब था। इन योजनाओं के अन्तर्गत, 335 संविदा पैकेज चिन्हित किये गए थे परन्तु केवल 197 संविदा पैकेज प्रदान किये गए थे। पूरे किये गए 107 पैकेजों में से, 41 पैकेज 31 मार्च 2015 तक विलम्बित हो गए थे। परिणामस्वरूप, अनेक पैकेज आस्थगित किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप चार विद्युत स्टेशनों में ₹199.65 की घटी हुई टैरिफ वसूली हुई। इसी प्रकार, एनटीपीसी को आरएण्डएम पैकेजों के प्रति वसूल किया गया टैरिफ ₹23.42 करोड़ के ब्याज के साथ लौटाना पड़ा, क्योंकि ये पैकेज समय पर पूरे नहीं हुए थे। इसी प्रकार, समय पर परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, ₹47.13 करोड़ के अतिरिक्त अथवा परिहार्य व्यय तथा ₹269.78 करोड़ की उत्पादन हानि के दृष्टॉत हुए थे।

आरएण्डएम पैकेजों के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणाम स्वरूप, कोरबा एसटीपीएस में कोयला फीडर प्रणाली को उन्नत न करने तथा सिंगरौली एसटीपीएस, दादरी टीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा रामागुन्डम एसटीपीएस में बायॅलर तथा टरबाईन की खराब थर्मल दक्षता के कारण ₹881.89 करोड़ की अधिक कोयला खपत देखी गई थी। इसी प्रकार कोरबा एसटीपीएस, सिंगरौली एसटीपीएस, दादरी टीपीएस, दादरी जीपीएस, अंता जीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा रामागुन्डम एसटीपीएस में सीएण्डआई, इलैक्ट्रीकल तथा अन्य प्रणालियों की बारम्बार विफलता के कारण हुए बलात आउटेज की वजह से ₹489.29 करोड़ मूल्य की बिजली की परिहार्य उत्पादन हानि हुई थी। सिंगरौली एसटीपीएस, कोरबा एसटीपीएस, अंता जीपीएस, फरक्का एसटीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा रामागुन्डम

एसटीपीएस में पर्यावरणीय प्रतिमानों का अननुपालन भी देखा गया था।

सिफारिशें

आरएण्डएम गतिविधियों के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए लेखापरीक्षा का सुझाव है कि एनटीपीसीः

- **परियोजना के प्रारंभिक स्तर पर ही व्यापक आरएण्डएम प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करे ताकि प्रस्तावों के पुनः प्रस्तुतिकरण में लगने वाले समय तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।**
- **आरएण्डएम योजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए आरएण्डएम नीति तथा आरएण्डएम व्यापार प्रक्रिया पर पुनर्विचार करे।**
- **आरएण्डएम गतिविधियों में शीघ्रता लाए ताकि बलात आउटेज तथा अधिक कोयला खपत को न्यूनतम किया जा सके।**
- **सीईआरसी द्वारा प्रतिदाय अथवा अनुमति के स्थगन से बचने के लिए यह सुनिश्चित करे कि टैरिफ याचिकाओं में आरएण्डएम व्यय के रूप में दावा की गई राशि टैरिफ अवधि में ही उपयोग की गई है।**
- **सभी स्तरों पर निगरानी तंत्र को अग्रसक्रिय किया जाए ताकि आरएण्डएम योजनाओं की समय पर पूर्णता तथा वॉछित उद्देश्यों की समग्र प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।**

एनटीपीसी ने सभी सिफारिशों को स्वीकार किया (फरवरी/दिसम्बर 2015) तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रशंसा की क्योंकी ये महत्त्वपूर्ण हैं।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय की जानकारी में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

11.6 वित्तीय रूप से कमजोर निजी विकासक को ऋण की संस्वीकृति

वितरण-पूर्व शर्तों में छूट के पश्चात् वित्तीय रूप से कमजोर निजी विकासकों से जुड़े जोखिम को अनदेखा कर ऋण की मंजूरी और वितरण के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 250 करोड़ का जोखिम हुआ।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) ने मध्य प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मै. श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को

₹ 250 करोड़ ऋण की मंजूरी दी (सितम्बर 2005)। आरईसी ने अगस्त 2007 और मार्च 2010 के बीच 12 किश्तों में ऋण वितरित किया। दिसम्बर 2010 से ऋण भुगतान में ऋणकर्ता के लगातार चूक के कारण जून 2011 में ऋण को गैर-निष्पादन परिसंपत्ति और जनवरी 2013 में संदेहास्पद ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन मार्च 2010 तक शुरू किया जाना था, लेकिन कार्यान्वयन में देरी के कारण वाणिज्यिक प्रचालन अभी तक नहीं शुरू किया गया है (दिसम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण मंजूरी पत्र के अनुसार, ऋणकर्ता को कुछ वितरण-पूर्व शर्तों को पूरा करना था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) सार्वजनिक रूप से इक्विटी एवं बांड्स जारी करने हेतु पूर्ण सहमति, (ii) सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूँजी लगाना, (iii) प्रभावित गाँवों और जल प्लावन के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक सारी भूमि का अधिग्रहण, (iv) अन्य ऋणदाताओं के बकायों की मंजूरी की पुष्टि, (v) विकासकों की निवल आय सूचित करना और (vi) ऋणकर्ताओं को स्थानांतरित परिसंपत्ति के संरक्षण हेतु मध्य-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और मध्य-प्रदेश सरकार का अनुमोदन शामिल थे। हालांकि ऋण के अनुमोदन के पश्चात् किश्तों के वितरण के समय इन शर्तों के अनुपालन हेतु समय सीमा बढ़ाए जाने के द्वारा इनमें ढील प्रदान कर दी गई थी। आरईसी प्रबंधन ने ऋण चुकाने में चूक और इक्विटी के गैर संचार का उल्लेख करते हुए मौजूदा ऋणकर्ता को दो बार (अगस्त 2003/जुलाई 2004) ऋण देने से मना कर दिया था। यद्यपि जांच समिति ने ₹ 529 करोड़ की अवधि ऋण के लिए मुख्य ऋणदाता की प्रतिबद्धता के विषयगत ₹ 45 करोड़ की राशि स्वीकृति हेतु ऋण आवेदन का मूल्यांकन किया था, तथापि निदेशक मंडल ने ₹ 250 करोड़ ऋण की मंजूरी दी।

आरईसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि यथोचित सावधानी बरतने के बाद ही ऋण की मंजूरी दी गई थी और चिह्नित जोखिम को उपयुक्त शर्तों के माध्यम से एवं/या ऋणकर्ता/विकासकों से घोषणापत्र प्राप्त करने के माध्यम से कम किया गया था। ऋणदाता संस्थाओं के बीच अपनाई जाने वाली पद्धति एवं मुख्य ऋणदाता के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात शर्तों में छूट दी गई थी अथवा संशोधन कर दिया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण के दौरान निधियों का संकट था और देरी का मुख्य कारण विकासकों द्वारा इक्विटी के गैर-संचार था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि जांच समिति द्वारा सुझाई गई यथोचित सांवधानी के अनुसार केवल ₹ 45 करोड़ का ऋण औचित्यपूर्ण था, जबकि बोर्ड ने ₹ 250 करोड़ की मंजूरी दी थी। यद्यपि निदेशक मंडल ने प्रबंधन को मुख्य/अन्य ऋणदाताओं के निर्णय से निरपेक्ष एक सुविचारित, स्वतंत्र मत और निर्णय लेने का निर्देश दिया था, वितरण पूर्व शर्तों के माध्यम से अभिकल्पित जोखिम न्यूनकरण उपायों

में उनके अनुपालन हेतु समय विस्तार प्रदान कर छूट दी गई थी और अधिकांश शर्तों का सम्पूर्ण ऋण वितरण अवधि में और दिसम्बर 2015 तक अनुपालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, वितरण-पूर्व शर्तों में छूट के पश्चात् वित्तीय रूप से कमजोर निजी विकासकों से जुड़े जोखिम को अनंदेखा कर ऋण की मंजूरी और वितरण के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 250 करोड़ का जोखिम हुआ।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय की जानकारी में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)